झारखण्ड JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

नगर प्रशासन भवन, एच०ई०सी० परिसर, धुर्वा, राँची–834004

लोक सुनवाई की सूचना

सर्वश्री न्यू अमतीपानी बॉक्साइट माइन, प्रो0 श्री अवधेश कुमार सिंह, मौजा– अमतीपानी, थाना–विसुनपुर, जिला–गुमला खनन पट्टा क्षेत्र 49.069 हे0 का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक **11.07.2013** (**दिन–गुरूवार**) को पूर्वाहन् **11.30** बजे **ग्राम–अमतीपानी** में निर्धारित की गई है।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से **एक सप्ताह के पूर्व** तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, **गुमला** पर्षद के **क्षेत्रीय कार्यालय, ई–1, सी० टी० आई कॉलोनी, पो०–धुर्वा, राँची –834004** में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रक्रिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई०आइ०ए० अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या एस0ओ03067(ई०) दिनांक 01.12.09 के अनुरूप होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा इसके सारांश की एक एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यकारी सारांश भी इन कार्यालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

1. उपायुक्त कार्यालय, **गुमला**
2. जिला उद्योग केन्द्र **गुमला**
3. जिला पर्षद्/नगर निगम, **गुमला**
4. मुख्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, **ई–1, सी० टी० आई कॉलोनी, पो०–धुर्वा, राँची –834004**
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय,ए–3,चन्द्रशेखरपुर,, भुवनेश्वर–751023
7. संबंधित पंचायत।
8. संबंधित प्रखण्ड विकास पदा०/अंचलाधिकारी कार्यालय, **विसुनपुर।**

6/6

(एस० के० सिन्हा)

सदस्य सचिव